

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 118/2024

GCMS NO-2024/506

राजवीर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी बांढा तहसील खेतड़ी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी  
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक - 02.12.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता सूचना पर्ची की फोटो प्रति, आयकर विभाग का पैन कार्ड तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./2024/4719 दिनांक 09.12.2024 की रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशंषा आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जसरापुर तटवार मण्डल जसरापुर की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 609 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	जसरापुर	जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 609 किता 10 कुल रकबा 8.95 है.	राजवीरसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र तारासिंह	राजवीरसिंह पुत्र तारासिंह

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
जिला झुंझुनूं  
दिनांक 02.12.2025  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं

क्रमांक :- राजस्व/2025/ 425  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. राजवीर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी बांढा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं

